जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 222.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (प्रशासनिक और लेखा सेवा) समूह 'ग' भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक इसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	44*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने

		(6)
		के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री । (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्दों की गति या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति पर टंकण में प्रमाणपत्र किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव दर 10500 केडीपीएच/ 9000 केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट । **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ

	(11)
	व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयेाग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे —अध्यक्ष 2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर श्रेणी लिपिक	50*(2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति

(6)
जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण । (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिमिनट 35 शब्द या हिन्दी में प्रति मिनट 30 शब्द की टंकण गति । प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट ।	हां, स्तंभ 11 में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष

(10)	(11)
(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पचासी प्रतिशत (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला के ग्रेड वेतन 1800 रु. वाले समूह 'ग' के उन कर्मचारीवृन्द में से भरी जाएंगी जो बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण हो या समतुल्य अर्हता रखते हों और जो केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला द्वारा संचालित किए जाने वाली विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों । **टिप्पण 1 :** परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष होगी । **टिप्पण 2 :** यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में अर्हित होते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की बढ़ी संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तियों के भरे जाने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा अर्हित कर रहे कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाए जो बाद में परीक्षा अर्हित करते हैं । (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला के समूह 'ग' के उन कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिन्होंने 1800 रु. के ग्रेड वेतन के पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।	**(क) प्रोन्नति :** केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला के समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने 1800 रु. के ग्रेड वेतन के पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **(ख)** विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से : परीक्षा नीचे दिए गए पाठ्य विवरण के आधार पर लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा भी परीक्षा में सम्मिलित होगी । (i) साधारण बुद्धिमता और जानकारी (ii) अंग्रेजी भाषा (iii) संख्यात्मक उपयुक्तता **टंकण परीक्षा :** टंकण परीक्षा अर्हक प्रकृति का होगा : अंग्रेजी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की दर । हिन्दी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की दर । (35 शब्द और 30 शब्द प्रतिमिनट, प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव दर प्रति घंटा 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच ।

(12)	(13)
प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 17/27/2009-स्था. II]

ललन प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st July, 2011

G.S.R. 222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Administrative and Accounts Services) Group 'C' posts Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating to the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. —**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	44* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servant up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Bachelors Degree from a recognised University;	No	Two years for direct recruits.

(7)
(ii) Certificate in typewriting at the speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. 35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word from a recognised Institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.

Method of recruitment : Whether direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by direct recruitment.	Lower Division Clerk with eight years regular service in the grade. **Note :** Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation consisting of :— 1. Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A Group 'A' Officer from other Central Government/Departement —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk	50* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servant up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to

(6)
the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board; and (ii) typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. 35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word .	Yes, to extent indicated in column 11.	Two years

(10)	(11)
(i) Eighty five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) ten per cent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff with Grade Pay of Rs. 1800 of Central Water and Power Research Station who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service on the	**(A) Promotion :** Group 'C' employees of the Central Water and Power Research Station who have three years regular service in posts with grade pay of Rs. 1800; and **(B) through Departmental Qualifying Examination :—** The examination will consist of a written examination and typing test on the basis of Syllabus given below :

(10)	(11)
basis of a Departmental Qualifying Examination to be conducted by the Central Water and Power Research Station. **Note 1 :** The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years and 50 years of age for the scheduled Castes and Scheduled Tribes. **Note 2 :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination; and (iii) five percent of the vacancies shall be filled on seniority -cum-fitness basis from Group 'C' employees of the Central Water and Power Research Station who have three years regular service in posts with the garde pay of Rs. 1800.	(i) General Intelligence and awareness; (ii) English Language; (iii) Numerical aptitude; and (iv) Typing test : Typing test will be of qualifying in nature: English Typing @ 35 w.p.m. Hindi Typing @ 30 w.p.m. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. corresponds to 10500 key depressions per hour/9000 key depressions per hour on average of 5 key depressions for each word).

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation consisting of :— 1. Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A Group 'A' Officer from other Central Government/Departement —Member	Not applicable.

[F. No. 17/27/2009-E. II]

L. P. SHARMA, Under Secy.

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 223.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो (आशुलिपिक श्रेणी-2 और आशुलिपिक श्रेणी-3) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-3 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय के अधीन भारतीय खान ब्यूरो में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।